

स्नान गृहों और शौचालयों में सहवासियों के लिए सुगम पहुंच हेतु जहां कहीं अपेक्षित हो रैम्प सुविधाएं और रेलिंग होनी चाहिए। स्नान गृहों और शौचालयों में फिसलनरोधी टायलें और हाथ सहारे के लिए रेलिंग होनी चाहिए।

- (अ) **स्वास्थ्य और सफाई** – सभी कमरों, बरामदों, आंगन और रसोई की एक दिन में कम से कम दो बार सफाई होनी अनिवार्य है। स्नान गृहों और शौचालयों की एक दिन में कम से कम तीन बार सफाई होनी चाहिए।
- (ट) विविध भुगतानों में बिजली, पानी, इंटरनेट, लेखन सामग्री, डाक टिकट, फर्नीचर, जेनरेटर/इनवर्टर का रख-रखाव, रसोई के लिए ईंधन की लागत, बेडशीट बदलने के लिए भुगतान शामिल हैं।
- (ठ) अनावर्ती अनुदानों में निम्नलिखित वस्तुएं शामिल होंगी:-

क्र.सं.	परियोजना का प्रकार	अनुमत वस्तु
1	वरिष्ठ नागरिक गृह	फर्नीचर, कुर्सियां, बेड और चटाई (बेडशीट तथा तकिए के साथ-साथ), लाभार्थियों की वस्तुओं के लिए अलमारी, बर्तन, गैस स्टोव, पंखा, डेजर्ट कूलर, वाटर प्यूरीफायर, ग्राइंडर/जूसर, हॉटकेस/माइक्रोवेव ओवेन, वाटर टैंक, इलेक्ट्रिक मोटर एवं पम्प, वाशिंग मशीन, टेलिवीजन, कम्प्यूटर, फ्रिज, इनवर्टर, वाटर कूलर, गीज़र और अन्य आवश्यक वस्तुएं।
2	राहत देखभाल गृह/सतत देखभाल गृह/डिमेंशिया/एल्जाइमर रोगियों के लिए वरिष्ठ नागरिक गृह	फर्नीचर, कुर्सियां, बेड और चटाई (बेडशीट तथा तकिए के साथ-साथ), लाभार्थियों की वस्तुओं के लिए अलमारी, बर्तन, गैस स्टोव, पंखा, डेजर्ट कूलर, वाटर प्यूरीफायर, ग्राइंडर/जूसर, हॉटकेस/माइक्रोवेव ओवेन, वाटर टैंक, इलेक्ट्रिक मोटर एवं पम्प, वाशिंग मशीन, टेलिवीजन, कम्प्यूटर, फ्रिज, इनवर्टर, वाटर कूलर, गीज़र और अन्य आवश्यक वस्तुएं।
3	क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र	कुर्सियां, मेजें, पुस्तक रैक, अलमारी, कम्प्यूटर टेबल, कम्प्यूटर, प्रिंटर, अम्पलीफायर, माइक, एलसीडी प्रोजेक्टर, स्क्रीन डिजिटल कैमरा, लैब/आवश्यक उपकरणों सहित प्रदर्शन कक्षा, फोटो कॉपियर, संदर्भ पुस्तकों सहित पुस्तकालय, प्रशिक्षण हाल, फर्नीचर।

- (iv) वरिष्ठ नागरिक गृहों की एमडब्ल्यूपीएससी अधिनियम, 2007 (समय-समय पर यथा संशोधित) में परिभाषित किसी उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा रेटिंग की जाएगी।

8.4 गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त दस्तावेज

- (i) संबंधित कार्यक्रमों/सेवाओं में संगठन की विशेषज्ञता/अनुभव के बारे में प्रमाण।
- (ii) एसोसिएशन का गठन, संगम ज्ञापन और लक्ष्य एवं उद्देश्यों का ब्यौरा।
- (iii) प्रबंधन मंडल का गठन, मौजूदा सदस्य, मौजूदा प्रबंधन मंडल के गठन की तारीख।
- (iv) अद्यतन वार्षिक रिपोर्ट।
- (v) एक ही परियोजना के लिए केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के अन्य विभाग/किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अथवा प्राप्त होने वाले अनुदान से संबंधित सूचना।
- (vi) पिछले दो वर्षों के लिए संगठन/संस्था की बैलेन्स शीट और समेकित पूरी प्राप्ति और भुगतान का विवरण और पिछले वर्ष की बैलेन्स शीट की एक प्रति। यह चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अथवा सरकार प्राधिकारी द्वारा सत्यापित होनी चाहिए।

- (vii) सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर मांगी सहायता अनुदान राशि के लिए संस्था/के नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा विधिवत निष्पादित बॉण्ड ।
- (viii) संगठन को अपने लाभार्थियों और स्टाफ के सदस्यों की सूची उनके आधार संख्या (जहां संभव हो) सहित करनी होगी ।
- (ix) अल्जाइमर और डिमेंशिया रोग से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों के लिए गृहों को सहायता के मामले में संगठन सरकारी अस्पताल से प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा जिसमें प्रमाणित किया गया हो कि लाभार्थी अल्जाइमर डिमेंशिया रोग, जैसा भी मामला हो, से पीड़ित हैं ।

8.5 गैर-सरकारी संगठनों के मामलों में अतिरिक्त निबंधन एवं शर्तें :-

- (क) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, द्वारा जारी किसी निर्देश का पालन करना संगठन के का दायित्व है ।
- (ख) अनुदानग्राही संस्था को मंत्रालय से प्राप्त अनुदान के संबंध में अलग लेखे रखने होंगे ।

8.6 विविध

- (i) कार्यान्वयन एजेंसियों को सहवासियों के लिए सुविधाओं का पैकेज, जिसका प्रस्ताव में सुस्पष्ट उल्लेख किया हो, उपलब्ध कराना होगा और जो केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना सहवासियों के अहित में बदल जाएगा ।
- (ii) सभी कार्यान्वयन एजेंसियां परियोजना के कार्यान्वयन से पूर्व यथा लागू सांविधिक अनुमोदनों और निकाश अनुसरण करेंगी ।
- (iii) अनुदानग्राही संगठन अर्थात् राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/पंचायती राज संस्थाएं/स्थानीय निस्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठन इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों के संबंध में संगठन के सचिव के नाम से पृथक संयुक्त/चालू खाता रखेंगे ।
- (iv) इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं हेतु अनावर्ती अनुदान (जहां कहीं लागू हो) फिजियोथेरेपी क्लीनिक छोड़कर प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात अनुमत होंगे बशर्ते कि संगठन द्वारा इसके लिए अनुरोध किया गया हो। परियोजनाओं के लिए एकबारगी अनावर्ती सहायता अनुदान को वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि (एससीडब्ल्यूएफ) पूरा किया जाए। यह धनराशि एससीडब्ल्यूएफ से आईपीएसआरसी में पुनर्विनियोजित की जाएगी ।

अनुबंध-I

लागत मानदण्ड, जिसके अनुसार विभिन्न परियोजनाओं को जारी रखने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को अनुदान सहायता मुहैया करवाई जाएगी परिशिष्ट-I से परिशिष्ट-V में दिए गए हैं। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक नीति (एनपीएसआरसी) के प्रावधानों के कार्यान्वयन सहित, कोई अन्य कार्यक्रम, जो योजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अधिक उपयुक्त है, परिशिष्ट-VI में शामिल किए गए हैं। वे परियोजनाएं, जो समाप्त कर दी गईं अथवा कुछ अन्य किस्म की परियोजनाओं में मिला दी गईं हैं या राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी, परिशिष्ट-VII में दी गई हैं।

1. सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) (25 वरिष्ठ नागरिकों हेतु) के तहत ~~अने अने गृहों~~ वरिष्ठ नागरिक गृहों/50 वृद्ध महिलाओं हेतु वरिष्ठ नागरिक गृहों का अनुसूक्षण

(योजना का पैरा 4(i))

(राशि रु)

क्रम सं.	विवरण	श्रेणी	लागत या (वार्षिक)
I.	आवर्ती व्यय (क से ड):-	* X श्रेणी	2160375
		* Y श्रेणी	2124375
		* Z श्रेणी	2100375
(क)	स्टाफ मानदेय (निम्न (i) से (vi) तक का कुल)		768000
	i. अधीक्षक (पूर्णकालिक)		150000
	ii. सामाजिक कार्यकर्ता/परामर्शदाता (अंशकालिक)		96000
	iii. योगा चिकित्सक (अंशकालिक)		60000
	iv. नर्स (अंशकालिक)		78000
	v. रसोइया (पूर्णकालिक)**		96000
vi. मल्टी टारिकिंग स्टाफ(एमटीएस) पूर्णकालिक**		288000	
(ख)	भवन किराया (या यदि अपना भवन हो तो किराए की 10 प्रतिशत की दर से अनुसूक्षण)	* X श्रेणी	240000
		* Y श्रेणी	204000
		* Z श्रेणी	180000
(ग)	स्वास्थ्य देखभाल (निम्न (i) से (vi) तक का कुल)		1032375
	(i) भोजन (योजना के पैरा 8.3(iii) (क) में उल्लिखित मदों हेतु)		684375
	(ii) डॉक्टर (पूर्णकालिक)		198000
	(iii) दवाइयां (योजना के पैरा 8.3(iii) (ख) में उल्लिखित मदों हेतु)		50000
	(iv) कपड़े/तेल, साबुन (योजना के पैरा 8.3(iii) (घ) में उल्लिखित मदों हेतु)		100000
(घ)	मनोरंजन		60000
(ड)	विविध और आकस्मिक व्यय (योजना के पैरा 8.3(iii) (ट) में उल्लिखित मदों हेतु)		60000
II.	अनावर्ती मदें (योजना के पैरा 8.3(iii) (ठ) में उल्लिखित मदों हेतु)		200000
कुल (I + II)		* X श्रेणी	2360375
		* Y श्रेणी	2324375
		* Z श्रेणी	2300375

* X, Y, और Z केन्द्र सरकार में मकान किराया भत्ता आहरित करने के प्रयोजनार्थ वर्गीकृत शहरों की तीन श्रेणियां हैं।

** 50 लाभार्थियों के वरिष्ठ नागरिक गृहों के लिए एक अतिरिक्त एमटीएस तथा रसोइया प्रदत्त कराया जाएगा।

50 लाभार्थियों के वरिष्ठ नागरिक गृहों के लिए अनावर्ती अनुदान के रूप में 3,00,000/- रुपए। परियोजना के आरंभिक अनुसूक्षण प्रत्येक 05 वर्ष के बाद, कार्यान्वयन एजेंसी से अनुरोध किए जाने की शर्त पर, स्वीकार्य है।

नोट:

- किसी सहवासी का देहांत होने की स्थिति में, 10,000/- रुपए प्रति व्यक्ति की दर से क्रिया कर्म व्यय अथवा किया गया कार्य जो कम हो, उसकी प्रतिपूर्ति संगठन को की जाएगी।
- 50 सहवासी की एक परियोजना के लिए निर्धारित किराया दरों का 50 प्रतिशत अधिक भवन किराया भत्ता अदा किया जा सकता है। शहरों के X, Y अथवा Z श्रेणियों के लिए प्रति वर्ष 3,60,000/- रु०, 3,06,000/- रु० या 2,70,000/- रु०।

योजना के तहत 50 लाभार्थियों के वरिष्ठ नागरिक गृहों का अनुसूक्षण (आरएसजीवाई) में नामांकन किया जाएगा।